



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2010/चैत्र 10, 1932

No. 593]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2010/CHAITRA 10, 1932

वित्त मंत्रालय

(1)

(2)

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

(आय-कर)

6. डीआरपी, हैदराबाद

7. डीआरपी, कोलकाता

8. डीआरपी-I, मुंबई

9. डीआरपी-II, मुंबई

10. डीआरपी, पुणे

का.आ. 718(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देता है कि नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 144ग के अधीन कृत्यों के प्रयोजनों के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी के अधीनस्थ होंगे, अर्थात् :-

सारणी

आय-कर प्राधिकारी	आय-कर प्राधिकारी
(1)	(2)
आय-कर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)	वे आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक, जो निम्नलिखित विवाद समाधान पैनलों के सदस्य हैं अर्थात् :-
	1. डीआरपी, अहमदाबाद
	2. डीआरपी, बंगलौर
	3. डीआरपी, चेन्नई
	4. डीआरपी-I, दिल्ली
	5. डीआरपी-II, दिल्ली

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/जेएस(एफटी एंड टीआर-II)/2010/अधिसूचना सं. 21/2010]

के. रामलिंगम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2010

(INCOME-TAX)

S.O. 718(E).—In exercise of the powers conferred by Section 118 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board, of Direct Taxes hereby directs that the income-tax authorities specified in column (2) of the Table below shall, for the purposes of the functions under Section 144C of the said Act, be subordinate to the income-tax authority specified in column (1) of the said Table, namely :—

TABLE	
Income-tax Authority	Income-tax Authorities
(1)	(2)
Director General of Income-tax (International Taxation)	Commissioners of Income-tax or Directors of Income-tax being members of the following Dispute Resolution Panels, namely:— 1. DRP, Ahmedabad 2. DRP, Bangalore 3. DRP, Chennai

(1)	(2)
	4. DRP-I, Delhi 5. DRP-II, Delhi 6. DRP, Hyderabad 7. DRP, Kolkata 8. DRP-I, Mumbai 9. DRP-II, Mumbai 10. DRP, Pune

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/JS(FT&TR-II)/2010/Notification No. 21/2010]

K. RAMALINGAM, Jt. Secy.